(वाद सं0.- 3188/4/2/2020)

17.09.2021

प्रसंगाधीन मामला सूरत(गुजरात) स्थित समीर मेडिकल कॉलेज में परिवादी, चितरंजन कुमार सिंह, की पत्नी की तथाकथित हत्या से संबंधित है।

परिवादी के परिवाद पत्र पर **पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद(बिहार)** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, औरंगाबाद (बिहार)** के प्रतिवेदनानुसार परिवादी की पत्नी के साथ घटित घटना का धटनास्थल समीर मेडिकल कॉलेज, सूरत(गुजरात) है। प्रतिवेदनानुसार समीर मेडिकल कॉलेज द्वारा पहले **कोविड** के कारण परिवादी की पत्नी की मृत्यु बताकर **कोविड–19** के दिशा निर्देशों के अनुसार उसके शव का अंतिम संस्कार करने तथा बाद में मृत्तिका के कोविड न होने से संबंधित (प्रमाण पत्र) के कारण परिवादी को भ्रम एवं शंका की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

पुरे मामले पर विचार करने के उपरान्त राज्य आयोग **पुलिस महानिदेशक, गुजरात** से यह अनुरोध करता है कि परिवादी के परिवाद पत्र व **पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद(बिहार)** के प्रतिवेदन के आलोक में **प्रसंगाधीन मामले की किसी वरीय पुलिस पदाधिकारी से जांच करा कर विधिनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय तथा कृत कार्रवाई से परिवादी को यथाशीध्र अवगत करा दिया जाय।**

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले का धटना स्थल बिहार मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन संचिका को उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में **संचिकास्त** किया जाता है।

पुलिस महानिदेशक, गुजरात का आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी के परिवाद पत्र (पृष्ठ–04–01/प0) व **पुलिस अधीक्षक,औरंगाबाद(बिहार)** के प्रतिवेदन(पृष्ठ–11–09/प0) की प्रति संलग्न कर भेजते हुए इसकी एक प्रति सूचनार्थ **परिवादी** को भी उपलब्ध कर दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक